बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम एवं निदेश

खनिज विकास पदाधिकारी लिखित (वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा (वि०सं० 36/2025) का परीक्षाफल दिनांक 03.11.2025 को प्रकाशित किया गया। आयोग द्वारा सभी सफल अभ्यर्थियों को उनके दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित किया जाता हैं, जिसका विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	द्वितीय पाली (समयः 2:30 बजे अपराह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	गुरूवार 20.11.2025	360003, 360092, 360115, 360133, 360144, 360160, 360163, 360191, 360208, 360275, 360337, 360343, 360469, 360584, 360603, 360675, 360696, 360716, 360736, 360792	360832, 360897, 361149, 361203, 361233, 361245, 361282, 361331, 361373, 361383

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी उक्त लिखित (वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के ई–प्रवेश पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे।
3. आयोग के वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र–I में अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
4. सभी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन विज्ञापन की कंडिका– **7(ix) नोट– (b)** में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नांकित मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की सुस्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार **एक (one) सेट** में भी लाना अनिवार्य होगा :–
   - (i) लिखित (वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ) परीक्षा के लिए भरे गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति (अनुलग्नक सहित)।
   - (ii) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/अंक पत्र। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सही है।
   - (iii) M.Sc. Geology/ Applied Geology/ M.Tech. in Geology/Degree in Mining Engineering का सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र।
   - (iv) M.Sc. Geology/ Applied Geology/ M.Tech. in Geology/Degree in Mining Engineering का का डिग्री प्रमाण पत्र।
   - (v) संबंधित विषय में AMIE (Section- A & B) उत्तीर्ण उम्मीदवारों जिनका AMIE में दिनांक 31.05.2013 तक Enrollment with permanent recognition प्राप्त है, उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र यथा Enrollment/ Registration Certificate प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा कि उक्त उम्मीदवार द्वारा AMIE में दिनांक 31.05.2013 तक Enrollment with permanent recognition प्राप्त कर उक्त डिग्री प्राप्त की गई है।
   - (vi) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र।
   - (vii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।
   - (viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र– (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
   - (ix) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने की स्थिति में)।
   - (x) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
   - (xi) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र।
   - (xii) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवार, जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, से सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
   - (xiii) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
   - (xiv) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र (**केवल परिचय पत्र मान्य नहीं होगा**)।

(xv) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xvi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा कि ऑनलाइन आवेदन में दावा किया गया है।

(xvii) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन फोटोग्राफ (Recent Photograph)

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति एक सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन में किया है। सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16.06.2025 तक का निर्गत होना आवश्यक है।

यदि आप अपनी आयु, शैक्षिक योग्यताओं, जाति/कोटि तथा दिव्यांगता के स्तर, आयु में रियायत आदि के समर्थन में अपने दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने/उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

5. (i) यदि आपने अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

   (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

   आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

   (iii) यदि आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक अथवा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने सम्बन्धी आरक्षण का दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका 4 (x), (xi), (xiii) एवं (xiv) में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

6. दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
7. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, Wifi, इलेक्ट्रोनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
8. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
9. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्नक– आवेदन पत्र का सार (प्रपत्र–I)

10/11/25

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना